

आदेश की क्रम सं०  
और तारीख

## आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की  
कारवाई के वाद  
टिप्पणी तारीख  
साथ

### प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 176/14-15 धर्मेन्द्र कुमार वनाम अभिषेक कुमार आदेश

16.07.15

आवेदक धर्मेन्द्र कुमार पिता सुदामा साव, साकिन-खडासीन, थाना-करपी, ओ० पी० शहर तेलपा, जिला- अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर अधिकारों का प्रख्यापन करने एवं मापी कराकर पिलरीग कराने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम-गौसपुर खडासीन थाना-करपी अंचल-सोनभद्र वंशी सूर्यपुर, ओ० पी० शहर तेलपा, जिला-अरवल में अवस्थित निम्न है:-

| खाता       | खेसरा        | रकवा  | चौहद्दी   |
|------------|--------------|-------|---|
| 155<br>276 | 1360<br>1359 | 2 डी० | उत्तर-वेसलाल दास, दक्षिण-खरीदार, पूरब-राम जतन रविदास, पश्चिम-खरीदार |
| 155<br>276 | 1360<br>1359 | 2 डी० | उत्तर-रास्ता, दक्षिण-खरीदार, पूरब-सुरेश रविदास, पश्चिम-नीज          |

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षी की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षी उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-

- (1) विवादित भूमि आवेदक ने दिनांक 13.04.2012 एवं दिनांक 30.12.2013 को निबंधित केवाला से दो तिथि में खरीदगी भूमि है।
- (2) खाता नं० 155 प्लॉट नं० 1360 मालिक गैरजरूआ भूमि है जो खतियान में भिन्न-भिन्न खरीदार के नाम से प्रविष्ट है जिसे प्रतिवादी के दादा बाबु रामेश्वर सिंह को 1949 में बन्दोबस्ती पट्टा वा कबुलियत नगदी कायमी से प्राप्त था जिसे दिनांक 29.06.1964 को रामजन मोची और जुदागीर मोची के नाम से विक्री कर दिया।
- (3) राम जतन मोची और जुदागीर मोची खरीदगी पश्चात् दाखिल काबिज थे तथा उसपर मकान बनाकर 50 वर्षों से रह रहे थे एवं बाद में खानगी बँटवारा में उक्त भूमि जुदागीर मोची को हिस्से में प्राप्त हुआ। जुदागीर मोची के मृत्यु पश्चात् इनके बेटे नन्हक रविदास एवं वेसलाल राम से आवेदक ने दो-दो डी० का अलग-अलग वसीका द्वारा उक्त भूमि खरीद किया तथा आज तक शांति पूर्वक दखल कब्जे में चले आ रहे हैं।
- (4) प्रतिवादी जान बुझकर बेइमानी करने के नीयत से गरीब कमजोर आवेदक को एवं अपने स्व० दादा द्वारा दिये गये भूमि को हडपने हेतु वा जबरदस्ती कब्जा एवं तग तवाह करते रहते हैं।
- (5) खाता नं० 155 प्लॉट नं० 1360 रकवा 2 डी० पर अनुमडल दण्डाधिकारी के न्यायालय में विपक्षी द्वारा धारा 144 द० प्र० सं० वाद संख्या 1824/14 लाया गया

4

था जो काल बाधित होकर समाप्त हो गया।

(6) प्रतिवादी द्वारा आपति के पारा 2 एवं 4 में बताया गया तथा सही है, जबकि पारा 2 में वर्णित भूमि आम गैरमजरूआ भूमि है जिसे आवेदक के न जानकारी होने के कारण निबंधित करा लिए है जो आम गैरमजरूआ भूमि है जिससे आवेदक को कोई मतलब नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में माँगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

**विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-**

(1) खाता नं० 276 में कोई प्लॉट 1359 नहीं है बल्कि प्लॉट नं० 1359 खाता नं० 316 की भूमि है जो खतियान में गैरमजरूआ आम बिहार सरकार की भूमि है।

(2) आवेदक ने विक्रेता से बिहार सरकार की आम गैरमजरूआ भूमि कैसे प्राप्त किये उन्हें स्पष्ट करना चाहिए था क्योंकि वादी के द्वारा दाखिल केवाला में विक्रेता द्वारा विक्री की गई भूमि मौरूसी बताया गया है।

(3) खाता नं० 155 प्लॉट नं० 1360 का कुल रकवा 12 डी० है जो प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 21.02.1949 को वसिका बन्दोबस्ती पट्टा का कबुलियत व सगे नगदी कायम के आधार पर प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य भूमि भी शामिल है।

(4) विवादित भूमि का डिमाण्ड पूर्व में रामेश्वर सिंह के नाम से कायम था जो वर्तमान में प्रतिवादी के पिता के नाम से कायम है तथा बिहार सरकार का राजस्व का भुगतान किया जा रहा है।

(5) प्रतिवादी के द्वारा अपनी भूमि पर नॉद, खूँटा कायम है। गनौरा रखने का कार्य किया जाता है तथा ट्रेक्टर का टेलर भी लगा हुआ रहता है।

(6) वादी एवं वादी के विक्रेता का आज तक भूमि पर कोई दखल कब्जा नहीं रहा है क्योंकि वादी के विक्रेता को बिहार सरकार की भूमि को विक्री करने का कोई अधिकार या आधार नहीं था।

(7) वादी को विवादित भूमि पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है तो केवल नुमाईशी केवाला के आधार पर भूमि का मापी कराने का कोई औचित्य नहीं है।

**उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज करने योग्य है।**

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने विवादित भूमि पर दावा दिनांक 13.04.2012 एवं 30.12.2013 के निबंधित केवाला के आधार पर किया है। प्लॉट नं० 1359 सर्वे खतियान में गैरमजरूआ आम भूमि है जिसे विक्री नहीं किया जा सकता है। साथ ही प्लॉट नं० 1360 गैरमजरूआ मालिक भूमि है। आवेदक के द्वारा प्लॉट नं० 1360 का कोई जमींदारी रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है और ना ही उभय पक्ष के द्वारा कोई राजस्व रसीद ही दाखिल की गई है। उपरोक्त परिस्थिति में आवेदक के अनुतोष को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापि एव संशोधित

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता  
अरवल।

16.02

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता  
अरवल।